

संख्या-2290/एक-10-2022-33(221)/2011

प्रेषक,

राम केवल,
विशेष सचिव,
उ० प्र० शासन।

सेवा में,

अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण,
लखनऊ,
उत्तर प्रदेश।

राजस्व अनुभाग-10

लखनऊ: दिनांक: 30/12/2022

विषय:- मुख्यमंत्री वज्रपात सुरक्षा कार्यक्रम पायलट प्रोजेक्ट का कार्य कराये जाने हेतु राज्य आपदा मोचक निधि से धनावंटन किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-796 रा० आ० प्र० प्रा०/2022-23 दिनांक-16.12.2022 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा टेक फार ट्रमरो से मुख्यमंत्री वज्रपात सुरक्षा कार्यक्रम पायलट प्रोजेक्ट का कार्य कराये जाने हेतु वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृत प्रदान करते हुए रु० 1,33,28,100/- (एक करोड़ तैंतीस लाख अट्ठाईस हजार एक सौ मात्र) की धनराशि आवंटित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि टेक फार ट्रमरो (L1) से मुख्यमंत्री वज्रपात सुरक्षा कार्यक्रम पायलट प्रोजेक्ट का कार्य कराये जाने हेतु वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृत प्रदान करते हुए रु० 1,33,28,100/- (एक करोड़ तैंतीस लाख अट्ठाईस हजार एक सौ मात्र) की धनराशि राज्य आपदा मोचक निधि से निम्नलिखित विवरण तथा शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, लखनऊ, उ० प्र० के निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- (1) अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष सम्पन्न कराए जाने वाला कार्य राहत आयुक्त संगठन से समन्वय स्थापित कर नियमानुसार कराया जायेगा।
- (2) स्वीकृति धनराशि का उपभोग वित्तीय नियमों के अनुसार तथा वित्तीय हस्त-पुस्तिका/ बजट मैनुअल के अनुसार किया जायेगा।
- (3) इस सम्बंध में भारत सरकार द्वारा दिये गये मार्ग-निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा।
- (4) समस्त धनराशि का उपभोग दिनांक- 31.03.2023 से पूर्व कर लिया जायेगा। यदि धनराशि अवशेष बचती है तो नियमानुसार दिनांक-31.03.2023 के पूर्व समर्पित कर दी जायेगी।
- (5) जिस मद में धनराशि स्वीकृति की जा रही है उसी मद में इस धनराशि का उपयोग किया जायेगा।

- (6) उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र वित्तीय हस्त-पुस्तिका खण्ड-5 , भाग-1 के प्रस्तर -369 एच

के अधीन निर्धारित प्रारूप संख्या -42 आई में शासन को तुरन्त उपलब्ध कराया जायेगा।

(7) व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाये।

3- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय 1,33,28,100/- (एक करोड़ तैंतीस लाख अट्ठाईस हजार एक सौ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 051 लेखा शीर्षक 2245058000611 से राहत हेतु स्टेट डिजास्टर रिस्पांश फण्ड से व्यय मानक मद 42 अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/ 2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक 07 जून, 2022 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

Signed by राम केवल

Date: 30-12-2022 11:53:01

(राम केवल)
Reason: Approved

विशेष सचिव।

संख्या:-2290(1)/एक-10-2022-33(221)/2011 तद्दिनांक

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार प्रथम/आडिट प्रथम, उ०प्र०, प्रयागराज।
- 2- विशेष सचिव/नोडल अधिकारी बजट आवंटन(ई-बजट), राजस्व विभाग, उ०प्र०।
- 3- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त संगठन, उ०प्र०।
- 4- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5।
- 6- राजस्व अनुभाग-11, उ०प्र० शासन।
- 7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राम केवल)

विशेष सचिव।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2022-2023

आवंटन दिनांक-02/01/2023

प्रेषण संख्या:- 2290
आवंटन आदेश संख्या:- 001-2290
अनुदान संख्या:- 51 राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)(वित्तीय वर्ष 2022-2023 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत(आयोजनेत्तर-मतदेय)
05 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड
800 - अन्य व्यय
06 -
11 - स्टेट डिजास्टर रिस्पांश फण्ड से सामान्य व्यय
(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		42-अन्य व्यय	योग
1	जवाहर भवन, लखनऊ-6019-up state disaster management authority , lucknow-01-a	वर्तमान प्रगामी	13328100 41661100	13328100 41661100
	योग	वर्तमान प्रगामी	13328100 41661100	13328100 41661100

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रुपया एक करोड़ तैंतीस लाख अठाईस हजार एक सौ

महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रुपया चार करोड़ सोलह लाख इकसठ हजार एक सौ


(अखिलेश प्रताप सिंह)

वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी

(अखिलेश प्रताप सिंह)

वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी

राहत आयुक्त कार्यालय

उ० प्र० शासन ।